दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गोरखपुर-273001
(नैक प्रत्यायित 'B' श्रेणी)
सम्बद्ध
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

☎ : 0551-2334549
: 09792987700
e-mail : digvijayans@gmail.com
: dnpggkp@gmail.com
website : www.dnpgcollege.edu.in

पत्रांक : /2019–20 दिनांक : 05.09.2019

प्रकाशनार्थ

राजनीतिशास्त्र विभाग द्वारा

अनु0 370 : ऐतिहासिक संदर्भ एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर विशिष्ट व्याख्यान

आज दिनांक 06 सितम्बर 2019 महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान के तत्वावधान में आयोजित विशिष्ट व्याख्यान अनुच्छेद 370 विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए प्रो. गोपाल प्रसाद, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 की पृष्ठभूमि पूरी तरह से ऐतिहासिक है। जब देश आजाद हुआ तो सम्पूर्ण भारत में 500 से अधिक रियासते विद्यमान थी। लेकिन आजादी के बाद राजनीतिक व्यवस्था में तेजी से बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुयी। इसमें से कुछ रियासतों ने तो स्वतः अपना विलय भारतीय संघ में कर लिया, कुछ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से अपने को भारतीय माना लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी, जो अपनी स्वतंत्र सत्ता के लिए कृतसंकल्प थी, इन्ही में से एक रियासत जम्मू कश्मीर की थी, जो अपनी स्वतंत्र सत्ता को कायम रखना चाहती थी। महाराजा हरि जी सिंह इस रियासत के शासक थे। किन्तु कालान्तर में कुछ काबीलाई तथा पाकिस्तानी सैनिकों के आक्रमण के कारण यहॉ की राजनीतिक स्थिति डमाडोल हो गयी। जिसके लिए तत्कालीन सरकार को संविधान के अनुसार विशेष अनुच्छे 370 लागू करना पड़ा। यह एक ऐसा लेख था जो जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करता था। यह अनुच्छेद कश्मीर को सम्पूर्ण भारत से अलग कर देता है, जिसमें शेष भारत के किसी भी व्यक्ति को कश्मीर में कोई व्यवसाय करने, जमीन खरीदनें या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की अनुमति प्रदान नहीं थी। जबकि कश्मीर का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र था। इसका दुस्परिणाम यह हुआ कि कश्मीर में विकास कार्य अरूद्ध हुए। यह भारत में रहकर भी भारत का अंग न रहा, अत्याचार, आतंकवाद, सैनिकों की हत्या जैसे जघन्य अपराधों में सम्पूर्ण राज्य लिप्त हो गया और यह केवल मुफ्ती, अबदुल्ला और कांग्रेस सिर्फ तीन परिवारों का शासन करने वाला राज्य बन गया। अनुच्छेद 370 के प्रावधान के अंतर्गत कश्मीर में आर.टी.आई. और सी.ए.जी. कानून लागू नहीं होते थे। यहॉ के नागरिकों के पास दोहरी

दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गोरखपुर-273001
(नैक प्रत्यायित 'B' श्रेणी)
सम्बद्ध
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

☎ : 0551-2334549
: 09792987700
e-mail : digvijayans@gmail.com
: dnpggkp@gmail.com
website : www.dnpgcollege.edu.in

नागरिकता होती थी। यहॉ का राष्ट्र ध्वज अलग था और अन्य राज्यों के विपरीत यहॉ के विधानसभा का कार्यकाल छः वर्ष का होता था। यहॉ के नागरिकों द्वारा हमारी आन, बान और शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान किसी अपराध की श्रेणी में नही आता था। यहॉ तक कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी कश्मीर के अंतर्गत मान्य नहीं थे। यदि यहॉ की महिला किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लेती थी तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती थी। यदि वही महिला किसी पाकिस्तानी पुरूष से करती थी तो वह व्यक्ति कश्मीर का नागरिक बन सकता था। एक राष्ट्र और दो संवैधानिक स्वरूप किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बाधक सिद्ध होते हैं और अनुच्छेद 370 निश्चित रूप से भारत के माथे पर एक ऐसा कलंक था, जिसे भारतवासियों ने 70 वर्ष से अधिक झेला। इस कलंक को मिटाकर वर्तमान भारतीय सरकार ने जिस दूरदर्शिता का परिचय दिया है, वह आने वाले दिनों में अखण्ड भारत की संकल्पना को साकार करने वाला एक साहसीक कदम सिद्ध होगा और पुनः कश्मीर में चतुर्दिक विकास की धारा और प्राकृतिक संसाधनों के बल पर भारत का स्वर्ग सिद्ध होगा।

कार्यक्रम के प्रारंभ में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने अतिथि को स्मृति चिन्ह और उत्तरीय प्रदान कर स्वागत किया। आज के व्याख्यान का संचालन एवं विषय प्रवर्तन करते हुए राजनीति विज्ञान विभाग की अध्यक्ष डॉ. वीणा गोपाल मिश्र ने कहा कि अनुच्छेद 370 भारत के लिए एक अभिशाप था और इसकी समाप्ति एक श्रेष्ठ भारत के साथ–साथ बदलते भारत की अभिव्यक्ति होगी और आने वाली पीढियॉ इस पर गर्व करेंगी।

आभार ज्ञापन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शैलेश कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में डॉ. रविन्द्र गंगवार, डॉ. अखण्ड प्रताप सिंह, डॉ. अखिल श्रीवास्तव, डॉ. प्रियंका सिंह सहित अन्य शिक्षक और कर्मचारीगण उपस्थित थे।

डॉ. (मुरली मनोहर तिवारी
सूचना एवं जनसम्पर्क प्रभारी